न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

वाद पत्र संख्या :—42 / दावा / 2019

पीठासीन अधिकारी — मोहम्मद ताहिर (RAS)

1. दुर्गाशंकर मेरूठा आत्मज मंगल्या उर्फ मंगला जाति मेरूठा निवासी 10, कार्नर बून्दी रोड श्रीनाथ आवास कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
2. धनराज आत्मज मंगल्या उर्फ मंगला जाति मेरूठा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
3. मुकेश आत्मज मंगल्या उर्फ मंगला जाति मेरूठा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. मंगला पुत्र घांसी जाति धोबी निवासी ग्राम नोताड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
2. रोशन पत्नी तोलाराम पुत्री मंगला जाति धोबी निवासी ग्राम लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
3. बबलेश पत्नी रमेशचन्द पुत्री मंगला जाति धोबी निवासी ग्राम कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा, राजस्थान।
4. रामघणी पत्नी योगेन्द्र पुत्री मंगला जाति धोबी निवासी ग्राम मोहीकला तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़, राजस्थान।
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, आर.टी. एक्ट

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी सत्यमेव जयते

—: निर्णय :— दिनांकः— 02.12.2019

1. वादी की ओर से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा एंव बंटवारा का दिनांक 28.03.2019 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :— वादीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 1176 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1317 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner

ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे स्थित है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा संख्या 829/571 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 853/632 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बक्षपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान मे वादीगण के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण के पिता ने आज से 10 वर्ष पूर्व उक्त कृषि भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से कर दिया था। कृषि भूमि खसरा संख्या 1317 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम नोताड़ा भोपत मे स्थित है को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं के हिस्से मे रखा था। इसी प्रकार वादी संख्या 1 को खसरा संख्या 1176 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा ग्राम नोताड़ा भोपत मे स्थित है मे से रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा एंव खसरा संख्या 829/571 रकबा 13 बिस्वा जो ग्राम बक्षपुरा मे स्थित है दिया था एंव खसरा संख्या 853/632 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जो ग्राम बक्षपुरा मे स्थित है मे से 1/3 हिस्सा बंटवारे मे दिया था। इसी प्रकार वादी संख्या 2 को खसरा संख्या 1176 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा ग्राम नोताड़ा भोपत मे स्थित है मे से रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा दिया था एंव खसरा संख्या 853/632 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जो ग्राम बक्षपुरा मे स्थित है मे से 1/3 हिस्सा बंटवारे मे दिया था। इसी प्रकार वादी संख्या 3 को खसरा संख्या 1176 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा ग्राम नोताड़ा भोपत मे स्थित है मे से रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा दिया था एंव खसरा संख्या 853/632 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जो ग्राम बक्षपुरा मे स्थित है मे से 1/3 हिस्सा बंटवारे मे दिया था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू विधि से शासित है जिनको वाद वर्णित कृषि भूमि पर जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। अन्त मे प्रार्थना की गई कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित 10 वर्ष पूर्व मे किये गये बंटवारे के अनुसार अधिकारों की घोषणा करने की कृपा करें।

2. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा राजीनामा पेश किया जिसमे वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner

3. इकबालिया जवाब व राजीनामा प्रस्तुत होने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है **वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है या नहीं ? तथा वादीगण अपने पिता की जीवित अवस्था मे बंटवारा प्राप्त करने के अधिकारी है या नहीं।** इस सम्बन्ध मे पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता घांसी जी से उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई है। पक्षकार हिन्दू विधि से शासित है यह स्वीकृत स्थिति है ऐसी स्थिति मे वादीगण का वाद वर्णित कृषि भूमि मे जन्म से ही हक व अधिकार निहित होना पाया जाता है। दूसरा विचारणीय बिन्दू यह है कि **प्रतिवादीगण की वाद पत्र की स्वीकृति के आधार पर एवं राजीनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों का अन्तरण किया जा सकता है या नहीं ?।** यहां पर पक्षकारों ने वाद पत्र का इकबालिया जवाब एवं राजीनामा पेश किया इस सम्बन्ध मे स्वीकृति के आधार पर निर्णय किये जाने सम्बन्धि विधि का अवलोकन करें जो इस प्रकार है :— **"Order 12 Rule 6 c.p.c" { Rule 6 judgment on admissions - (1) where admissions of fact have been made either in the pleading or otherwise, whether orally or in writing, the court may at any stage of the suit, either on the application of any party or of its own motion and without waiting for the determination of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit, having regard to such admission."** साथ ही **R.B.J. (S) 1998 P.N-615** राजस्थान सरकार बनाम कान सिंह, उक्त प्रकरण मे माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है — **Rajasthan Tenancy Act. 1955 - section 88 - Khatedar tenent can transfer his khatedari rights on the basis of compromise.** उपरोक्त कानूनी नजीर के प्रकाश मे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वादी संख्या 1 को खसरा संख्या 1176 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा ग्राम नोताड़ा भोपत मे स्थित है मे से रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करे एंव खसरा संख्या 829/571 रकबा 13 बिस्वा जो ग्राम बक्षपुरा मे स्थित है का खातेदार वादी संख्या 1 को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करें एंव खसरा संख्या 853/632 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जो ग्राम बक्षपुरा मे स्थित है मे से 1/3 हिस्सा का खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करें। इसी प्रकार वादी संख्या 2 को खसरा संख्या 1176 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा ग्राम नोताड़ा भोपत मे स्थित है मे से रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करें एंव खसरा संख्या 853/632 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जो ग्राम बक्षपुरा मे स्थित है मे से 1/3 हिस्सा का खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करें। इसी प्रकार वादी संख्या 3 को खसरा संख्या 1176 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा ग्राम नोताड़ा भोपत मे स्थित है मे से रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करें एंव खसरा संख्या 853/632 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जो ग्राम बक्षपुरा मे स्थित है मे से 1/3 हिस्सा का खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करें। बैंक रहन यथावत रहेगा। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला

Scanned by CamScanner